

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(9)/पंचा/रानिआ/2025/ 2489

दिनांक: 30.07.2025

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 01.01.2025 से 31.05.2025 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पंचायत समिति प्रधान के 03 व उप प्रधान के 03, जिला परिषद सदस्य के 03, पंचायत समिति सदस्य के 14 पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। जिलेवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'A' पर उपलब्ध है। उक्त पदों हेतु उप चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

➤ जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए

क्र. स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	05.08.2025 (मंगलवार)
2.	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	11.08.2025 (सोमवार) प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	12.08.2025 (मंगलवार) प्रातः 11:00 बजे से
4.	नाम वापसी की तिथि एवं समय	13.08.2025 (बुधवार) अपराह्न 3:00 बजे तक
5.	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	13.08.2025 (बुधवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6.	मतदान की तिथि एवं समय	21.08.2025 (गुरुवार) प्रातः 7:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक
7.	मतगणना 1. जिला परिषद सदस्य - जिला मुख्यालय पर 2. पंचायत समिति सदस्य - पंचायत समिति मुख्यालय पर	22.08.2025 (शुक्रवार) प्रातः 9:00 बजे से

➤ प्रधान, उपप्रधान के लिए

1.	प्रधान की मतदान तिथि	23.08.2025 (शनिवार)
2.	उपप्रधान की मतदान तिथि	24.08.2025 (रविवार)
चुनाव के लिए समय-सारणी		
	बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09:00 बजे से पूर्व
	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10:00 बजे
	नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण का समय	पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11:30 बजे तक
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1:00 बजे तक
	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	अपराह्न 1:00 बजे के तुरन्त बाद
	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 3:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य
	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

मतदाताओं की पहचान

राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

• आदर्श आचरण संहिता

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

संलग्न :- परिशिष्ट-A

आज्ञा से,

(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 7(2)(9)/पंचा/रानिआ/2025/2490-96 दिनांक: 30.07.2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
4. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
5. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
7. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।

(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक के रिक्त पदों का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक	पंचायत समिति में			
			पंचायत समिति का नाम	प्रधान	उप-प्रधान /	पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाड़मेर		गुड़ामालानी			14
			चौहटन			22
	योग	0		0	0	2
2.	डीग		पहाड़ी	प्रधान		
			कामां	प्रधान		
	योग	0		2	0	0
3.	चूरु		राजगढ़			15
	योग	0		0	0	1
4.	डूंगरपुर		सीमलवाड़ा			16
		9				
	योग	1		0	0	1
5.	जयपुर		जमवारामगढ़			27
	योग	0		0	0	1
6.	कोटपूतली-बहरोड़		बहरोड़		उपप्रधान	
		0		0	1	0
7.	जैसलमेर		भणियाणा			11
	योग	0		0	0	1
8.	जालोर		चितलवाना			12
	योग	0		0	0	1
9.	जोधपुर		बावड़ी			20
	योग	0		0	0	1
10.	करौली		मासलपुर	प्रधान		2
			मण्डरायल			6
	योग	0		1	0	2
11.	कोटा		खैराबाद		उपप्रधान	
	योग	0		0	1	0
12.	नागौर	12				
	योग	1		0	0	0
13.	सीकर		फतेहपुर			6
	योग	0		0	0	1
14.	श्रीगंगानगर	22				
	योग	1		0	0	0
15.	उदयपुर		खेरवाड़ा		उपप्रधान	12
			झाड़ोल			2
			सायरा			6
	योग	0		0	1	3
		जिला परिषद सदस्य-3		प्रधान-3	उपप्रधान- 3	पंचायत समिति सदस्य- 14

25/5